

¹[नियम 142ख : अधिनियम की धारा 79 के अधीन वसूली किए जाने योग्य कतिपय रकम की संसूचना

- (1) जहां, नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई रकम धारा 79 के अधीन वसूली योग्य हो और वह असंदत्त रह गई हो, तो उचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01घ** में उक्त रकम के ब्यौरे सूचित करेगा, चूक करने वाले व्यक्ति को, रकम का संदाय, यथास्थिति, लागू ब्याज सहित या ब्याज की रकम का संदाय करने का निर्देश देगा। उक्त सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर और उक्त रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01** में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग- 22 में पोस्ट की जाएगी।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली के लिए नोटिस माना जाएगा।
- (3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई भी रकम उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संदाय नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी उस रकम की वसूली, जो असंदत्त रह गई है, नियम 143 या नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के उपबंधों के अनुसार करेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा नियम 142ख अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।